तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एलआर/3314/2004/धौलपुर सरकार बनाम जनकसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित–

श्री लोकेनद्रसिंह, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–5

निर्णय

दिनांक 14.01.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार धौलपुर ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमाडाडा स्थित विवादित आराजी आराजी खसरा नम्बर 401, 410 व 411 साबिक खसरा नम्बर 429, 422 व 392 की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 में मूर्ति मन्दिर हनुमान जी के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी बंटाई पर काश्त हेतु जनकसिंह को दे रखी थी किन्तु बन्दोबस्त सम्वत् 2022 में मूर्ति मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए विवादित आराजी जनकसिंह के नाम दर्ज कर दी, जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। जनकसिंह ने विवादित आराजी का विक्रया अप्रार्थी संख्या–2 से 4 को कर दिया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या–2 लगायत 4 ने उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या–5 को विक्रय कर दी, विक्रय के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या–43 तस्दीक हुआ। जो अवैध एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः विवादित आराजी को पुनः मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एलआर/3314/2004/धौलपुर सरकार बनाम जनकसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाद सुनवाई विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–06–1995 से स्वीकार किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी पक्ष की ओर से मण्डल के समक्ष नजरसानी प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–01–2002 से स्वीकार कर पूर्व पारित निर्णय दिनांक 2–6–1995 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 23–10–2003 से रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर राज्य सरकार द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 में विवादित आराजी माफी अते सरकार का कायमी पूजा मन्दिर जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है, इस कारण उक्त आराजी मन्दिर की सेवा पूजा के लिए दी गयी है, जिसे पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि अप्रार्थी जनकसिंह की हैसियत महज एक जोता की थी वह ना तो आराजी का कृषक था, ना ही उपकृषक दर्ज था। केवल मात्र विवादित आराजी को जोतने से उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर हनुमान जी का मन्दिर है एवं उसकी सेवा पुजा इसी आराजी की आय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एलआर/3314/2004/धौलपुर सरकार बनाम जनकसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से की जाती रही है। उनका कथन है कि कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। मूर्ति मन्दिर सतत अयवस्क है इस कारण माफी मन्दिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–10–2003 निरस्त किया जाकर विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन किया जाकर उक्त विवादित आराजी को मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–5 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान की भूमि खुदकाश्त लीलाधर जमींदार थे। सम्वत् 2005 में उक्त आराजी नोतोड थी तथा जमीदारी समाप्त होने पर मुआवजा मन्दिर प्राप्त करनेपर समस्त अधिकार समाप्त हो गये। उनका कथन है कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम दर्ज नहीं रही है। उनका कथन है कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं होकर खातेदार कृषक की भूमि थी तथा खातेदार द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 7–8–1984 से उनके पक्षकार द्वारा क्रय की गयी है, जिसके आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उनका कथन है कि वर्ष 1984 से उनका पक्षकार विवादित आराजी पर काबिज काश्त है तथा विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी नहीं होने मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एलआर/3314/2004/धौलपुर सरकार बनाम जनकसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होने से पारित निर्णय में प्रार्थनापत्र के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज कियाजावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नीमाडाडा स्थित विवादित आराजी आराजी खसरा नम्बर 401, 410 व 411 साबिक खसरा नम्बर 429, 422 व 392 की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 में माफी अतिय सरकार लीलाधर वल्द रामचन्द्र व रामेश्वर पुत्र मुरलीधर साकिन देह हिस्सा बराबर तथा कयमी पूजा मन्दिर दर्ज है यादि उक्त विवादित आराजी मन्दिर की सेवा पूजा करने के लिए लीलाधर को दी गयी थी एवं मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि थी। प्रस्तुत प्रकरण में मूर्ति मन्दिर की विवादित आराजी सेवा पूजा के लिए काश्त पर दी गयी थी, काश्त के आधार पर लीलाधर व रामेश्वर को मूर्ति मन्दिर की विवादित आराजी पर कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते किन्तु बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2022 में विवादित आराजी अप्रार्थी जनकसिंह के नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दी गयी, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में जब जनकसिंह को ही मूर्ति मन्दिर की विवादित आराजी पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते तो उसके द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थी क्रेता को भी विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 व 46 के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है और इसी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नाबालिग द्वारा करवाई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एलआर/3314/2004/धौलपुर सरकार बनाम जनकसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गयी काश्त उसके स्वयं द्वारा की गयी ही मानी जावेगी। नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और यदि खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो भी गये है तो वह प्रभाव शून्य ही माने जावेगें। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मूर्ति मन्दिर सतत अवयस्क है उसकी खुदकाश्त खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को आक्षेपित निर्णय से खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–10–2003 निरस्त किया जाकर विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी के इन्द्राज एवं स्वीकृत नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए उक्त विवादित आराजी को मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	